जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.12.2024*

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस पर तहसील धनघटा पर पहुंचकर जनता की समस्याओं का किया गया निस्तारण

आज दिनांक 07.12.2024 को जिलाधिकारी संतकबीरनगर ***श्री महेन्द्र सिंह तंवर*** व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस पर संयुक्त रुप से ***तहसील धनघटा*** पर पहुंचकर पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जहां पर फरियादियों से उनकी समस्याओं को मौके पर सुना गया तथा वहां मौजूद संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। राजस्व और पुलिस विभाग से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण आपसी सामंजस्य से सुनिश्चित किया जाये, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। तत्पश्चात वहां मौजूद शिकायत पंजिका का निरीक्षण करते हुए निस्तारित हो चुकी शिकायतों के संबंध मे फीडबैक भी लिया गया। इस अवसर पर राजस्व व पुलिस के अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 107 वाहनों से 1,24,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 07.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 107 वाहनों से 1,24,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री केशवनाथ*** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बेलहरकला ***श्री नन्दू*** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा आज दिनांक 07.12.2024 को मु0अ0सं0 260/2024 धारा 105,351(3) बी0एन0एस0 मे वांछित सुनील कुमार यादव पुत्र राम उजागिर यादव निवासी अमरडोभा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को सुरसा चमन जोत भट्ठा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी श्री सुबाष यादव द्वारा थाना बेलहरकला पर दिनांक 11.11.2024 को उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी के पिता को बुरी तरह से मारने पीटने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 260/2024 धारा 105,351(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया था। ईलाज के दौरान वादी के पिता की मृत्यु हो गयी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 07.12.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव, हे0का0 रजीव यादव, का0 प्रवीण तिवारी।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 300 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 07.12.2024 को ***सी0 जे0 (जे0 डी0) जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 115/2002 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता इसहाक पुत्र खदेरन निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत 300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।